प्रधानमंत्री आवास योजना

EWS फ्लैट्स - कौशल्या माता विहार

प्रकार	बिल्टअप एरिया (वर्गफुट)	कारपेट एरिया (वर्गफुट)	ऑफसेट मूल्य	धरोहर राशि
EWS Flats - 2 BHK	415.59	322.37	5,45,000/-	20,000/-

आवेदन की पात्रता : (1) आवेदक रायपुर नगर निगम सीमा में निवासरत होना चाहिए।
(2) आवेदक के पूरे परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,000 (तीन लाख रुपये) से कम होना चाहिए।
(3) आवेदक व उसके परिवार के नाम पर पूरे भारत वर्ष में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं हो।

आवेदन कौन कर सकता है ? इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया / परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर / जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तब परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर आवेदन किया जा सकता है (परिवार से आशय-पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे तथा आश्रित माता-पिता)।

पंजीयन राशि: पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए) का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट "*CEO RDA Raipur*" के नाम पर देय होगा।

आरक्षण : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध।

आबंटन: लॉटरी के माध्यम से

आधिपत्य: आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित प्रथम किश्त जमा करने के पश्चात् 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा.

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: (1) आरक्षित वर्ग से आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(2) आय प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालय से जारी / नियोक्ता से / शपथ पत्र द्वारा)।
(3) मूल निवास प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालय से अथवा नोटरी से सत्यापित शपथपत्र।
(4) आवेदनकर्ता का स्वयं का निवास नहीं होने की दशा में निवास के संबंध मे शपथ पत्र अथवा किरायेदारी अनुबंध प्रस्तुत करें।
(5) आवेदनकर्ता को अपना एवं परिवार का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
(6) आवेदन पत्र में संलग्न शपथपत्र 50. रू के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित हो।
(7) आवेदनकर्ता अविवाहित है, तो अविवाहित होने का शपथ पत्र।
(8) भरे हुए आवेदन पत्र के साथ पृथक लिफाफे में पंजीयन राशि रूपये 20,000/- का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।

ऋण उपलब्धता : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होने के कारण बैंकों द्वारा आसान किश्तों में ऋण उपलब्ध होगा।

नोट : प्लॉट तथा फ्लैट का आबंटन नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है। कृपया दलालों से सावधान रहें और उनके जाल में ना फसें। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लॉट तथा फ्लैट दिलाने के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने पर उसकी शिकायत कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण

PCG RERA Reg. No. 190618000236

भक्त माताकर्मा कॉम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

अधिक जानकारी के के लिए लिए संपर्क करें : 7224980800

वेबसाईट : www.rdaraipur.com